UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT No. 21 of 1970)]

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Akasmikta Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.]

ΑN

ACT

U.P. further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950
Act
XIX
IT is HEREBY enacted in the Twenty-first year of the Republic of India as
of follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1970.

Short title.

Amendment of section 4 of U. P. Act XIX

- 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950—
 - (i) after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely:—

of 1950, at of the withdraw and Fund

- "(3) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1970, withdraw a further sum of four crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund";
- (ii) in the marginal heading after the words "and a further sum of two crores of rupees" the words "and another sum of four crores of rupees" shall be inserted.

Price 05 Paice.

^{[*}For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated May 2, 1970.]

⁽Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 4, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 15, 1970.)

[[]Received the Assent of the Governor on June 3, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated June 6, 1970.1

उत्तर प्रदेश ग्रावस्मिकता निधि (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1970 [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1970]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15 मई, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

्र ['मारत का संविधान' के ग्रनुच्छेद 200 के श्रन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 3 जून, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी ग्रसाधारण गजट में दिनांक 6 जून, 1970 ई० को प्रकाशित हुम्रा]

उत्तर प्रदेश श्राकस्मिकता निधि श्रधिनियम, 1950 में श्रग्रेतर संशोधन करने के लिये ग्रिथिनियम

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसर्वे वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित श्रिधिनियम बनाया जाता है:— 1—यह ग्रिधिनियम उत्तर प्रदेश श्राकस्मिकता निधि (संशोधन) श्रिधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश श्राकस्मिकता निधि श्रिधिनियम, 1950 की धारा 4 में:—

संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश प्रक्रि नियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

- (1) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात् :-
 "(3) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) श्रिधिनियम, 1970 के

 प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार 4 करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की
 संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।";
- (2) पार्श्वशीर्षक में शब्द 'श्रीर 2 करोड़ रुपये' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में शब्द 'तथा 4 करोड़ रुपये की एक श्रीर धनराशि' रख दिये जायं।

[उद्देश्य श्रीर कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 2 मई, 1970 ई० का सरकारी श्रसाधारण व्याप्त देखिये]